कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र संख्याः–1693(H), दिनांक–8.011.2023 द्वारा इन्वेसटर समिट–2023 के दृष्टिगत नगर की सफाई व्यवस्था के लिये लगभग 200 कार्मिक आउटसोर्स के माध्यम रखने हेतु आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराने वाली कम्पनी/ऐजेन्सी से सर्विस चार्ज दर प्राप्त करने हेतु दिनांक–10.11.2023 से दिनांक–16.11.2023 तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें केवल 01 निविदादाता द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अतः उक्त निविदा में पर्याप्त निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण निविदा को निरस्त कर निम्नानुसार पुनः अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

- निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक–20.11.2023 तक प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे के मध्य नगर निगम देहरादून के स्वास्थ्य अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते है।
- निविदा डालने की तिथि– 21.11.2023 को प्रातः 11:00 बजे निविदा समिति के समक्ष सील बंद पेटी में डाला जायेगा, जिसे उसी दिन अपराहन 3:00 बजे निविदा समिति से समक्ष खोला जायेगा।
- उक्त निविदा सम्बन्धी विवरण को नगर निगम की वेबसाइट– www.nagarnigamdehradun.com से भी प्राप्त किये जा सकते है।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक– 1728 (H) दिनांक – 17.11.2023

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक, पंजाब केसरी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त अल्पकालीन निविदा सूचना सम्बन्धी समस्त विवरण नगर निगम देरादून की वेबसाईट– www.nagarnigamdehradun.comमें तत्काल अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय पर चस्पा करने हेतु।

17/11/23

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर निगम, देहरादून द्वारा "इन्वेसटर समिट" के सम्बन्ध में सफाई हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से 200 कर्मचारियों को रखे जाने हेतु टू–बिड (तकनीकि एवं वित्तीय) प्रक्रिया के माध्यम से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

S.No.	Scheduled/Information	Date	Time
1	Date of publication	17.11.2023	-
2	Tender Document sale (Start Date)	18.11.2023	10:30 AM
3	Tender Document sale(End Date)	20.11.2023	05:00 PM
4	Bid submission Date and Time	21.11.2023	11:00 AM
5	Bid Opening Date and Time	21.11.2023	03:00 PM

अ– तकनीकि बिड में निम्न दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में मूल रूप से जमा करना अनिवार्य होगा:–

1. निविदादाता को श्रम विभाग, ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा उक्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को आधार कार्ड, पैन नम्बर एवं जी0एस0टी0 नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23) का टर्न ओवर, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें तीन वर्षों का औसत टर्न कम से कम 50,000,00/– (पचास लाख रूपये) हो उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को विगत तीन कर निर्धारण वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23) का आयकर रिर्टन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता का स्थाई पता सम्बन्धित विवरण/अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता को 100 रूपये के स्टाम्प (मूल प्रति सहित) पेपर उसकी फर्म/एजेन्सी/ठेकेदार को भारतवर्ष में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय में ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. 1,00,000/– (एक लाख रूपये) धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के माध्यम से जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहादून के नाम बंधक हो मूल रूप में नगर निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा शुल्क रू0 2000+ 18% जी0एस0टी0 कुल रू0 2360/– (दो हजार तीन सौ साठ रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम का होना अनिवार्य होगा। जिसे किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
9. तकनीकी निविदा सम्बन्धी प्रपत्रों को पृथक सील बन्द लिफाफे में निविदा समिति के समक्ष सील बन्द निविदा पेटी में डाला जायेगा, किसी भी दशा में वित्तीय प्रस्ताव को तकनीकी बिड प्रस्ताव के साथ संलग्न न किया जाये, अन्यथा ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. तकनीकि निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा दस्तावेज (शर्तो) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ब– वित्तीय बिड की शर्तें:–

1. वित्तीय निविदा बीओक्यू प्रारूप में रहेगी तथा निविदादाता का चयन न्यूनतम प्राप्त दर के आधार पर किया जायेगा।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner

2. वित्तीय निविदा बी0ओक्यू में सर्विस दर प्रतिशत में अंकित करना अनिवार्य होगा जिसे पृथक सील बन्द लिफाफे में निविदा समिति के समक्ष सील बन्द निविदा पेटी में डाला जायेगा।
3. उक्त कार्य न्यूनतम दर प्रस्ताव (L-1) करने वाले निविदादाता को दिया जायेगा। यदि (L-1) निविदादाता द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत आपूर्ति/कार्य नहीं किये जाने की दशा में नगर निगम अन्य तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं को उक्त कार्य (L-1) के दरों पर करने का अवसर प्रदान करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के पास रक्षित होगा, जिस के क्रम में सम्बन्धित निविदादाताओं द्वारा सहमति हेतु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

स– अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः–

1. अल्प कालीन निविदा दो भागों में (तकनीकि एवं वित्तीय) होगी।
2. सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी एवं तकनीकी बिड के मूल्यांकन के उपरान्त सफल फर्म/एजेन्सी/ठेकेदार की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
3. तकनीकी निविदा में वांछित अभिलेख/दस्तावेज ऑनलाईन व हार्ड कॉपी में नगर निगम कार्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत जमा करना अनिवार्य होगा, अन्य माध्यमों से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को एक ही निविदा डालने का अधिकार होगा। एक से अधिक निविदा डालने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत समस्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।
5. निविदा की वैधता 90 दिन होगी।
6. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने एवं संशोधन करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून में निहित होगा।
7. नगर निगम, देहरादून द्वारा समय अवधि को आवश्यकतानुसार घटाया–बढ़ाया जा सकता है।
8. सेवा प्रदाता को श्रम विभाग/शहरी विकास अनुभाग के शासनादेश 2(II)/IV(1)/22-02 (घो0)/022 दिनांक 12–04–2022 द्वारा जारी अद्यतन निर्धारित न्यूनतम दरों से कम दर पर कार्मिकों (कुशल व अकुशल) को भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा आउटसोर्स पर सेवायें उपलब्ध कराने हेतु एल0ओ0ए0 जारी किये जाने के 01 सप्ताह के भीतर अनुबंध से पूर्व कार्य का नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में एफ0डी0आर0 के माध्यम से वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम बधंक हो जामा करायी जानी अनिवार्य होगी।
10. नगर निगम, देहरादून द्वारा कार्मिकों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकता है।
11. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार को सर्वप्रथम आपूर्ति किये जा रहे कार्मिकों (कुशल व अकुशल) से सम्बन्धित आधार कार्ड, निवास प्रमाण आदि अभिलेख वांछित जमा कराने होगे।
12. समस्त कार्मिकों के नियमानुसार ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की धनराशि अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार को उनके खातों में स्वंय जमा करायी जानी होगी तथा जिसके अभिलेख नगर निगम देहरादून के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. आउटसोर्स के माध्यम से आपूर्ति किये गये कार्मिकों के भुगतान पर यदि किसी भी प्रकार चार्ज/शुल्क/कर ठेका अवधि व उसके पश्चात् आरोपित होते है तो उसका वहन स्वंय अनुबंधकर्ता/ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जायेगा। नगर निगम देहरादून द्वारा इस प्रकार के किसी भी देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता/फर्म को नहीं किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर अनुबंध करना होगा, अनुबंध उपरान्त ही सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी किया जायेगा।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner

15. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार के बिल में सेवाकर कटौती व अन्य समस्त करो का विवरण उल्लेखित होना आवश्यक होगा।
16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
17. सफल निविदादाता को श्रम नियमों, श्रम विभाग के शासनादेशनुसार जारी नियमों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तथा समय-समय पर न्यायालयों, आयोग, मा0 एन0जी0ई0टी0, अभिकरणों, जिला प्रशासन तथा नगर निगम देहरादून द्वारा जारी नियमों का अनुपालन करना होगा।
18. अनुबंध अवधि के दौरान यदि कार्य के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो सफल निविदादाता प्रासंगिक कानून के तहत मुआवजे आदि के भुगतान के लिये स्वंय जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना जोखिम का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का ही होगा तथा नगर निगम देहरादून द्वारा इस हेतु कोई धनराशि नहीं दी जायेगी।
19. यदि अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को भुगतान नियम समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और श्रमिकों के भुगतान की वसूल भू-राजस्व के रूप में की जायेगी।
20. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
21. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की आपूर्ति संतोषजनक न किये जाने पर निविदा शर्तो का उलंघन किये जाने व निगम द्वारा समय-समयपर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन न किये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्तर कर दिया जायेगा एवं धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
22. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार द्वारा श्रमिक सर्विस चार्ज की दर को अलग से प्रस्तुत करेंगे, यह सर्विस चार्ज श्रमिकों के देय भुगतान से अलग होगी उक्त धनराशि किसी भी रूप में श्रमिकों के देय भुगतान में सम्मिलित नहीं की जायेगी।
23. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान योजना के तहत बीमा अनिवार्य होगे तथा उक्त अभिलेखों की एक सत्यापित प्रतिलिपि निगम कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। प्रतिमाह बीमे की राशि जमा करने की रसीद/चालान आदि की प्रति आगामी माह भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
24. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों की धनराशि में से दिशा निर्देशों का पालन न करने, कार्य में लापरवाही व निवदि शर्तो का उलंघन किये जाने आदि पर नियमानुसार कटौती की जायेगी।
25. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार द्वारा मांग/आवश्यतानुसार नगर निगम देहरादून को श्रमिकों (कुशल व अकुशल) की आपूर्ति की जायेगी।
26. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के बैंक खाते में भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के बैंक खाते में भुगतान का विवरण श्रमिकों के ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 की धनराशि का विवरण व सम्बन्धित अभिलेख नगर निगम देहरादून के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराया जाना होगा। इसके पश्चात् ही फर्म को भुगतान किया जायेगा।
27. अनुबंधकर्ता/फर्म/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर राशि को कार्य समाप्ति के 06 माह के पश्चात् अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
28. यदि अनुबंधकर्ता द्वारा तैनात किये गये किसी भी कार्मिक द्वारा अपने भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय को अवगत कराया जाता है तो अनुबंधकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
29. सम्पर्क सूत्र- डॉ0 अविनाश खन्ना, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मो0नं0-9412142022

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

नगर निगम देहरादून द्वारा इन्वेसटर समिट–2023 के दृष्टिगत नगर की सफाई व्यवस्था के लिए लगभग 200 कार्मिक आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु, उक्त कार्मिक उपलब्ध कराने वाली कम्पनी/एजेन्सी से सर्विस चार्ज दर प्रतिशत हेतु विवरण। (BOQ)

क्र.स.	विवरण	सर्विस चार्ज दर प्रतिशत में (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
1.	उपरोक्त कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु सर्विस चार्ज।	

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner